

## अनमैड ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर

### चर्चा में क्यों?

22 फरवरी, 2023 को उत्तराखंड के पुलिस संचार एडीजी अमति सनिहा ने बताया कि प्रदेश में उड़ने वाला हर ड्रोन अब पुलिस की नज़रों के सामने रहेगा। इसके लिये पुलिस अब अनमैड ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) सॉफ्टवेयर तैयार करा रही है।

### प्रमुख बिंदु

- पुलिस संचार एडीजी अमति सनिहा ने बताया कि अनमैड ट्रैफिक मैनेजमेंट (यूटीएम) सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिये दिल्ली की एक कंपनी से करार किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक ड्रोन संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पुलिस इस सॉफ्टवेयर का अगले सप्ताह ट्रायल करेगी।
- दिल्ली की यह कंपनी पुलिस के लिये यूटीएम सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है। इस पर हर ड्रोन को पंजीकृत किया जाएगा। इससे टेक ऑफ होने से लेकर रूट और लैंडिंग तक की लाइव लोकेशन पता चल जाएगी। यदि कोई ड्रोन बिना पंजीकरण उड़ाया जा रहा है तो उसे जैम से जाम भी कर दिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर पर मालवाहक ड्रोन से लेकर शौकिया ड्रोन उड़ाने वालों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में अभी तक कौन, कहाँ और क्यों ड्रोन उड़ा रहा है, इस पर नज़र रखने के लिये पुलिस के पास कोई तंत्र नहीं है, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में छोटे मालवाहक ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं। इनसे दवाएँ, ब्लड सैपल और तमाम तरह की सामग्रियों को दूर-दराज के इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्त्व इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं।
- वर्तमान में डीजीसीए ने ड्रोन के लिये यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) जरूरी कर दिया है। अब हर ड्रोन का यूआईएन नंबर जारी होता है। पुलिस यह नंबर अपने सॉफ्टवेयर में फीड करेगी। इसके माध्यम से पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल सकेगा। पुलिस का यह सॉफ्टवेयर नो परमिशन नो टेकऑफ के आधार पर काम करेगा।
- पछिले साल तक आने वाले ड्रोन में यूआईएन नहीं होता था। इसमें आरआईडी (रिमोट आईडेंटिफिकेशन) होता था। आरआईडी रजिस्टर्ड करने के साथ-साथ पुलिस इन ड्रोन में विशेष चपि लगाएगी। यह चपि लोकेशन बताने के लिये लगाई जाएगी।